



# जनपद शामली पुलिस



**--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेसविज्ञप्ति**

**दिनांक 08.06.2022**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 03 वर्ष के कारावास की सजा, साथ ही 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।**

वर्ष 2017 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र ब्रहमपाल निवासी चुनसा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 278/17 धारा 25 A ACT के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये गये थे। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 08.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**नाम व पता अभियुक्तगण:-**

1. राहुल पुत्र ब्रहमपाल निवासी चुनसा थाना बाबरी जनपद शामली।

**जनपद शामली की मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते लूट एवं अवैध हथियार के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया**

**गया:-**

1. अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत वादी नाजिम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 हरेन्द्र नगर थाना कोतवाली जनपद शामली के साथ 40,000/- रुपये 02 मोबाइल लूटने की घटना कारित की गई थी घटना के सम्बन्ध में पीडित द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत दिया गया था। जिसमें अभियुक्त सारिक को 40,000/- रुपये व 02 मोबाइल लूटना का प्रयास करने के अपराध में धारा 392 भादवि में 05 वर्ष 02 माह के कठिन कारावास एवं 3000/- रुपये व धारा 411 भादवि में 03 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. वर्ष 2022 को जाउल पुत्र शकूर निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 40/2022 धारा 4/25 A ACT में थाना कैराना पर अवैध हथियार के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त जाऊल उपरोक्त को 04 माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है।

उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय में उक्त मामलों का विचारण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मॉनिटरिंग सेल को साक्ष्य एवं साक्षियों को समय से उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली शामली व कैराना पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।

## थाना थानाभवन

**01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद:-** थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दिनांक 08.06.2022 को 01 अभियुक्त इंतजार पुत्र इम्तियाज निवासी मोहल्ला खेल खालापार थाना कांधला जनपद शामली को अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।